न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 245 / 2024

अनवान : –

1. मनीष चौधरी पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सुमित कटारिया पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र चोथूराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 58 / 58 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 6.5250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 58/58 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 6.5250 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 58/58 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 6.5250 है0 भूमि में से 4.048 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 245/2024

अनवान : –

1. मनीष चौधरी पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. सुमित कटारिया पुत्र ओम प्रकाश जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र चोथूराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 245 सन 2024 निर्णय दिनांक – 01/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 58/58 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 6.5250 है0 भूमि में से 4.048 है0 भूमि का वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.16 17:01:21 IST
Reason: SelfAttested